भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् नार्मेटिव 15 मिलियन टन/वर्ष से 50 मिलियन टन/वर्ष एवं पीक 18.75 मिलियन टन/वर्ष से 62.50 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–3510.384 हेक्टे.) में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 11.02.2015, दिन–बुधवार, स्थान–इंदिरा स्टेडियम, कुसमुण्डा , तहसील –कटघोरा, जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् नार्मेटिव 15 मिलियन टन/वर्ष से 50 मिलियन टन/वर्ष एवं पीक 18.75 मिलियन टन/वर्ष से 62.50 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–3510.384 हेक्टे.) में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 11.02.2015, दिन–बुधवार को इंदिरा स्टेडियम, कुसमुण्डा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री रंजन पी. शाह, महाप्रबंधक (खनन), मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् नार्मेटिव 15 मिलियन टन/वर्ष से 50 मिलियन टन/वर्ष एवं पीक 18.75 मिलियन टन/वर्ष से 62.50 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया- 3510.384 हेक्टे.) में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 10.02.2015 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 03 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 11.02.2015 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 20 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। इस प्रकार लिखित में कुल 23 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 38 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका- टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियाँ आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 500 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 78 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :–

1. **श्री दिलहरण सारथी, ग्राम–पाली, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा** – कुसमुण्डा माईन के निकट ग्राम पड़निया में मेरी कृषि भूमि है। कुसमुण्डा माईन की वजह से हमारी कृषि भूमि नष्ट हुई है, जिसका मुआवजा आज दिनांक तक नहीं मिला है। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात पानी आदि मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती है न ही ग्रामवासियों से किसी प्रकार का संपर्क किया जाता है।

   लोक सुनवाई का मै समर्थन करता हूँ , यदि एसईसीएल प्रबंधन को संबंधित अधिग्रहित ग्राम में प्रदूषक मापक यंत्र लगाने, समय–समय पर प्रदूषण की

छीन लिया गया है। पुर्नवास ग्राम में लोगों को प्रदूषण से सांस की बीमारी हो रही है, गांव में मेडिकल कैम्प भी नहीं लगाया जाता । भू-विस्थापित आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

एसईसीएल द्वारा किये जा रहे ब्लॉस्टिंग से घरों में दरारें हो रही हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, आसपास के तालाबों का पानी काला हो गया है, रोजगार नीति गरीबों के हितों में नहीं है तथा जल प्रदूषण के मापदण्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है।

एसईसीएल प्रबंधन द्वारा ग्रामों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो लोक सुनवाई कालोनी में क्यों ? ग्राम–खोड्‌री में लोकसुनवाई होना चाहिए।

6. **श्री प्रकाश बांगे, अधिवक्ता, कोरबा** – ये जनसुनवाई नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन केवल बातों से बोलते हैं, काम नहीं करते हैं । लोकसुनवाई में प्रबंधन जनता से जो राय लेना चाहते हैं, उन प्रश्नों को जनता को बतायें और हम जनता उनका जवाब देंगे। लोक सुनवाई में सभी लोगों की आपत्ति लिखित में दर्ज हो और उस पर कार्यवाही होना चाहिए। एसईसीएल कालोनी में प्रदूषण की घोर स्थिति है, वृक्षारोपण भी नहीं किया गया है। मैं लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ।

7. **श्री भारत पटेल, चन्द्र नगर(जटराज)** – ग्राम चन्द्रनगर में शुद्ध जल की कमी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध मे सभी ग्रामिणों को लुभाया जाता है। अतः मैं लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।

8. **श्री आनंद कुमार ठाकुर, ग्राम–बांकीमोंगरा** – एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के लिए पौधारोपण नहीं किया गया है, ना ही रोपित पौधों का देखभाल किया जाता है। सड़क की खराबी के कारण सडक दुर्घटना होती है। एसईसीएल और नगर निगम दोनों ही सड़क का निर्माण नहीं कराते हैं। ग्रामों में हॉस्पीटल आदि मूलभूत सुविधा नहीं है। मुआवजा की पूरी राशि नहीं दी जाती है। एसईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों की सारी समस्या का निदान करें।

जांच करने तथा निरंतर ग्रामों की स्थिति का जायजा लें। साथ ही सर्वसुविधा युक्त पुर्नवास का मुआवजा राशि की व्यवस्था करें।

2. **श्री बी.एम. मनोहर, जनप्रतिनिधी, विकास नगर, कुसमुण्डा** - एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पूर्व लोकसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों के समस्या के निदान करने के बारे में कहा गया था, जिसे आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है। मैं समर्थन करता हूँ यदि ग्रामों में रोजगार की समस्या है, जिसे दूर किया जाये। औषधी युक्त पौधों का रोपण किया जाये तथा सी.एस.आर. मद के तहत् सड़क, शिक्षा आदि का विकास किया जाये।

3. **श्री संजय राठौर, ग्राम–बरकूटा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन एक पेड़ काटकर हजार पौधा लगाकर भी पर्यावरण की भरपाई नहीं कर सकते हैं, ग्राम बरकूटा में लोग नाली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पूर्व में किये गये पुर्नवास ग्रामों में मूलभूत सुविधा नहीं है। सी.एस.आर. मद का एक भी पैसा ग्रामीणों पर खर्च नहीं होता। गंगा नगर, यमुना नगर, वैशाली नगर की स्थिति दयनीय है। यहां सरकारी स्कूल, शिक्षा,विद्युत की व्यवस्था नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन हम ग्रामीणों का शोषण करके हमें भूमिहीन बना रहा है। हम इस लोकसुनवाई का घोर विरोध करते हैं।

4. **श्री सनीष कुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम, कोरबा** -- जन सुनवाई जिस क्षेत्र की है वहीं कराना चाहिए। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पुर्नवास ग्रामों में सड़क निर्माण नहीं कराया जाता है, ना ही ग्रामों की स्थिति का जायजा लिया जाता है। जनसुनवाई बंद करें।

5. **श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास, ग्राम–पाली तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा** – मैं लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ। 2008 की लोकसुनवाई में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बताया गया था कि 2850 लोगों को रोजगार दिया जावेगा, लेकिन केवल 04 लोगों को रोजगार दिया गया। प्रदूषण मापदण्ड ऐसे है, जिसे ग्रामीण समझ नहीं पाते है। एसईसीएल द्वारा सभी कार्य अंग्रेजी में किया जाकर ग्रामवासियों से भूमि

9. **श्री अजय जायसवाल, जिला–पंचायत सदस्य, कोरबा** - एसईसीएल के जमीन अधिग्रहण की नीति ग्रामवासियों को नहीं पता है। ग्रामवासियों को डराकर उनसे जमीन लिया जा रहा है। मैं इस लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ।

10. **श्री रमेश कुमार राठौर, अधिवक्ता, कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन ने धोखा किया है, जनसुनवाई का प्रकाशन क्षेत्र स्तर पर नहीं किया गया है। एसईसीएल को जनता के हित में जो कानूनी अधिकार मिला है उसका प्रयोग जनता के हित में नहीं किया जाता है। आमजनता को लोकसुनवाई की जानकारी नहीं दी गई है। आपत्ति के समयावधि को 90 दिन करें ।

    एसईसीएल भूमि अधिनियम, पुर्नवास नीति को ईमानदारी से लागू करे। सम्पूर्ण कार्य जनता की जानकारी में किया जावे साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर जनता को सूचित करें।

11. **श्री केदारनाथ अग्रवाल, जनप्रतिनिधी, कोरबा** – जो भू विस्थापित नौकरी नहीं पाये है एसईसीएल प्रबंधन उसे नौकरी दे। ग्रामीणों को एसईसीएल विस्तार से जो हानि हुई है, प्रबंधन उसका भरपाई करें। ग्रामीणों को पुर्नवास कराया जावे। शासन–प्रशासन आम जनता का सहयोग दें।

12. **श्री श्याम सुंदर कैवर्त, गेवरा बस्ती, तहसील–कटघोरा, जिला कोरबा** – मैं पूरी गेवरा ग्रामवासी की तरफ से जनसुनवाई का विरोध करता हूँ। गेवरा बस्ती के भूमि का पूर्व में अधिग्रहण किया गया था किन्तु भू–विस्थापितों को नौकरी नहीं दिया गया, ना ही महिला खाता में नौकरी दिया गया है। एसईसीएल प्रबंधन उन्हें नौकरी दें। जमीन का मुआवजा नगर निगम के तहत् किया जावे।

13. **श्री तुलसी गोस्वामी, कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने में लापरवाही करते हैं। सी.एस.आर. के तहत् कार्यवाही नहीं करते है, ना ही आर.टी.आई. के तहत् जानकारी प्रदान करते हैं। जन सुनवाई बंद करें।

14. **नाम बताने व हस्ताक्षर करने से इन्कार** - कुसमुण्डा प्रबंधन हमारी झोपड़ी को तोड़कर खदान बना रहा है। हमारा घर टुटेगा तो हम कहां रहेंगे, हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। एसईसीएल प्रबंधन बोलता है पैसा दे रहा है, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं मिलता , हम अपना जमीन नहीं देंगें।

15. **श्री लखनलाल देवांगन, विधायक कटघोरा** – जनसुनवाई स्थगित की जाये।

16. **श्री दिनेश सोनी, मेयर इन कॉउंसिल** - जनसुनवाई का विरोध करते हैं, इसे तत्काल रोका जाये।

17. **श्री प्रशान्त मिश्रा, पूर्व शांसद प्रतिनिधि, कोरबा** - जनसुनवाई अवैधानिक है, इसे तत्काल बंद किया जावें।

18. **श्री विद्या विनोद महंत, ग्राम–आमगांव** - हम ग्रामावासी अपना जमीन नहीं देंगे, हमें एसईसीएल का कोई एहसान नहीं चाहिए।

19. **श्रीमती निरुपा बाई, ग्राम–बरकूटा** – एसईसीएल जमीन लेता है, लेकिन कुछ देता नहीं है। कृषक जमीन नहीं देना चाहते। धरती हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं देंगे। जनसुनवाई बंद हो।

20. **श्रीमती रुकमणी कंवर, ग्राम बरकूटा** – एसईसीएल सिर्फ को लड़कों को नौकरी देता, लड़कियों को नौकरी क्यों नहीं देता। लड़कियों को नौकरी दिया जाये।

21. **श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव सार्थक, कोरबा** – ई.आई.ए. रिपोर्ट में 8676 एकड़ की जमीन के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है, जबकि जिन पांच गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, वह 4645 एकड़ जमीन है, शेष 4028 एकड़ जमीन कहाँ है।

22. **श्री वेदानंद कौशिक, गेवराबस्ती, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन बिना पुछे हमारी बस्ती में धारा लगा दिया है, एसईसीएल ग्रामवासियों का जमीन नहीं ले सकता। जनसुनवाई बंद करो।

23. **श्री दुरपाल सिंह, सभापति नगर पालिक निगम, कोरबा** खदान विस्तार से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। खेती किसानी में समस्या हो रही है, साथ ही ग्रामों का जल स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है।

24. **श्री गिरधारी अग्रवाल, ग्राम भस्माखार, नरोईबोध, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा** एसईसीएल अपना वादा पूरा नहीं करती, मुआवजा जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, हमारे पट्टे पर दूसरा नौकरी करता है। एसईसीएल हमारे बच्चों को डी.ए.वी. स्कूल में प्रवेश नहीं देता।

25. **श्रीमती सदाशिव, प्रभावित ग्रामवासी** – एसईसीएल और जिला प्रशासन मिला हुआ है। जनसुनवाई बंद करें।

26. **सुश्री अरूणा चन्द्रशेखर, अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, बैंगलोर** – कोरबा पांचवी अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र है । यहां वन अधिकार कानून लागू होना चाहिए। ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों से अनुमति लेनी चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट सिर्फ सरपंच को दिया गया है, ग्रामिणों को नहीं दिया गया है। ग्रामीणों को पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन नीति की जानकारी नहीं है, पेसा कानून के तहत् ग्रामवासियों को सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एसईसीएल प्रबंधन सभी मजदूर, कृषक एवं भू–विस्थापित के विचार विमर्श के पश्चात ही ई.आई.ए. रिपोर्ट बनानी चाहिए। बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के खदान का विस्तार नहीं होना चाहिए।

27. **श्री सपूरन कुलदीप, जिला सचिव, एम.सी.पी., कोरबा** – एसईसीएल द्वारा पर्यावरण को पूर्णरूप से प्रदूषित किया गया है। वृक्षारोपण तो किया गया है, किन्तु अवैध कटाई भी की जाती है। एसईसीएल फलदार वृक्ष नहीं लगाता है। प्रभावित ग्राम पानी,सड़क, भवन जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। मैं विरोध करता हूँ कि एसईसीएल पुराना काम पहले पूरा करें, तभी नया काम शुरू करें।

28. **श्री फूलेश्वर प्रसाद सूरजइहा, बांकीमोंगरा** – एसईसीएल की जनसुनवाई केवल औपचारिकता ही रह गई है। कोल बेयरिंग एक्ट के तहत् जमीन अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन रोजगार नहीं दिया गया। एसईसीएल को 4800 प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देना है। जनसुनवाई ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना कार्य किया गया है, एसईसीएल द्वारा पुर्नस्थापन के तहत् निर्धारित राशि से कम राशि प्रदान की जाती है । रोपित किये गये पौधों का देखभाल नहीं करता है। एसईसीएल पेसा एक्ट, मौलिक अधिकार का पालन करें।

29. **श्री लक्ष्मीकांत जगत, पार्षद, नरईबोध** – ग्रामवासियों को एसईसीएल के नियमों की पूरी जानकारी होने पर कोई भी ग्रामीण विरोध नहीं करेगा। एसईसीएल धारा 4 के प्रकाशन के बाद ग्रामीणों को होने वाली समस्या का निदान करें। मुआवजा राशि का पूर्ण मूल्यांकन कर दिया जावे। रोजगार के नाम पर ग्रामीणों को छला नहीं जाये।

30. **श्री सौरभ अग्रवाल, जन चेतना मंच, रायगढ़** – ई.आई.ए. रिपोर्ट में दी गई ऑकड़े अनुसार पिछले 6साल से आज दिनांक तक प्रदूषण का स्तर वही बताया गया है। ईआई.ए. रिपोर्ट में 2009 के वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दर्शाया गया है। पिछले 6 साल से वायु मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई है, यदि की गई है तो ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्यों नहीं दर्शाया गया है।

31. **श्री अखिलेश कुमार राठौर, ग्राम–बरकुटा** – एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कोरबा जिले के मॉनिटरिंग का कार्य पूर्ण तरीके से किया जावे, पर्यावरण को स्वच्छ रखें।

32. **श्री विनोद कुमार यादव, ग्राम– पाली** – एसईसीएल के प्रदूषण से निकट के ग्राम व ग्रामवासी प्रभावित हो रहे है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। खदान के नजदीक होने के कारण जलस्तर नीचे जाने से सिंचाई नहीं हो पाती है। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा रोजगार के नाम पर नामांकन भरवाकर नामांकन पंजी गलत करार दी जाती है। हम लोकसुनवाई का विरोध करते है।

33. **श्री लखनलाल राठौर, पूर्व पार्षद, नरईबोध, गेवरा** - एसईसीएल द्वारा पूर्व जनसुनवाई के तहत लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। जिन गाँवों का अधिग्रहण करना है, उन ग्रामवासियों को रोजगार व मुआवजा मिलना चाहिए। एसईसीएल के मुआवजा के लिए 5–10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। पुर्नवास स्थल पर मूलभूत सुविधा नहीं है, प्रभावित ग्रामवासियों से प्रबंधन सद्व्यवहार नहीं करते है। वर्तमान खातेदारों को पूर्व खातेदारों से जोड़ा जाता है। जमीन अधिग्रहण करने से पहले ग्रामसभा का प्रस्ताव प्राप्त करें। खाली खदान में खनन कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी का डम्प किया जावे, उसके बाद वृक्षारोपण किया जाये। पर्यावरण को स्वच्छ रखें।

34. **श्री अरूण पाण्डेय, कुसमुण्डा परियोजना** - एसईसीएल प्रबंधन द्वारा शासन के नियमानुसार समस्त कार्य किया जावे।

35. **श्री प्रदीप कुमार तिवारी, गेवरा बस्ती** - एसईसीएल के विस्तार से मेरी जमीन जायेगी। जमीन अधिग्रहण के पश्चात महिलाओं के खाते नहीं होने कारण मेरी माँ और बहन को रोजगार का लाभ नहीं मिल पायेगा ।

36. **श्री आर.पी. श्रीवास्तव, कुसमुण्डा परियोजना** – एसईसीएल प्रबंधन द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये। खदान में जब भी ब्लास्टिंग की जाती है, तो आसपास के घरों के गिरने की शिकायत होती है, ऐसी स्थिति के जांच उपरांत ही विस्तार परियोजना हेतु स्वीकृति दी जाये। साथ ही पर्यावरण को होने वाली क्षति को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा रोका जावे।

37. **श्रीमती मीना महंत, ग्राम– दुरपा (रिस्दी)**– एसईसीएल द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात मेरे पति को नौकरी नहीं दी गई है। कलेक्टर कोरबा के आदेश के बाद भी एसईसीएल द्वारा नौकरी के लिए मेरे पति का नामांकन नहीं भराया गया है।

38. **श्री कोमल प्रसाद, गेवरा बस्ती** – एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पौधारोपण केवल प्रदूषित क्षेत्र जैसे– सी.एच.पी. आदि में कराया जाता है। बसावट वाले क्षेत्र में

पौधारोपण नहीं किया जाता। रोजगार की मांग को लेकर एसईसीएल प्रबंधन के पास जाने पर राज्य शासन का मामला कहकर टाल दिया जाता है। मुआवजा राशि कम दिया जाता है। विस्तार परियोजना हेतु आपत्ति की समयावधि 90 दिन नहीं दी गई है।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रूप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है :-

01. ग्राम चुरैल के समस्त ग्रामवासी– अलग–अलग आवेदक द्वारा प्राप्त 05 आवेदन पत्र (जिनके समतुल्य मुद्दे निम्नानुसार है)

- कृषि हमारा मूल व्यवसाय है, हमारे रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं है। हम अपनी भूमि खदान विस्तार में नहीं देना चाहते, हमे धारा 4 (1) के प्रकाशन से मुक्त कराया जाये। हम खदान के विस्तार में अपनी पैत्रिक सम्पत्ति (कृषि भूमि) नहीं देना चाहते हैं।

02. श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव सार्थक, कोरबा

- ईआईए/ईएमपी में तालिका क0 3.14 (ए) में जो आकड़े दिये गये है वह गलत है क्योंकि ईआईए में कम समय के आकड़ो का तुलना किया गया है। जबकि आकड़ो की तुलना एमओईएफ के वार्षिक औसत से की जानी चाहिए थी, जो कि तालिका क0 11.07 में दिया गया है। केवल एक मौसम (तीन माह) के वायु गुणवत्ता के आकड़े एकत्रित किये गये है और यह उचित नहीं है कि उनकी तुलना 24 घण्टो के मानक औसत आकड़ो जो कि पीएम–10 और पीएम–2.5 के लिए कमशः 60 एवं 40 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर से की जाए।
- खदान को प्राप्त टी.ओ.आर. के तहत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर माईनिंग के प्रभाव के आंकलन हेतु आई.एस.सी.एस.टी (रिवाईज) या लेटेस्ट मॉडल से करना है।

- खदान को प्राप्त टी.ओ.आर. के तहत् नीचे दिये गये सारणी अनुसार ग्रीनबेल्ट एव वनरोपण का कार्य किया जाना है:–

S.N.	Land use Category	1st Year	5th Year	10th Year	20th Year	24th Year (end of mine life)
1	Backfilled Area (Reclaimed with plantation					
2	Excavated Area (Not reclaimed)/Void					
3	External OB dump Reclaimed with plantation					
4	Reclaimed Top Soil Dump(internal dump)					
5	Green Built Area					
6	Undisturbed area(brought under plantation)					
7	Roads(avenue plantation)					
8	Area around buildings and Infrastructure					
9	Others/future mining					
	Total	101*	101*	101*	101*	101*

- खदान के कान्सेप्चुअल फाइनल माइन क्लोजर प्लान में भूमि के फिजिकली, केमिकली एवं बायोलॉजिकली रुप में प्रभावित होने के बारे में किसी प्रकार का वर्णन नही है।
- यह देखा गया है कि माईन प्रबंधन द्वारा 10 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत – 07 गांव, 15 मिट्रिक टन के अंतर्गत 05 गॉव, इस प्रकार कुल 12 गॉव का अधिग्रहण माईन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

  50 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत 05 और गॉव आमगांव, चुरैल, खोडरी, खैरभावना ओर गेवरा माईन का अधिग्रहण किया जाना है। प्रथम चरण मे (1655.825 हेक्टेयर) के अंतर्गत 1344 परिवारों का विस्थापन तथा 1142 परिवारों का पुर्नस्थापना किया जाना था। 2166 परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई थी जिनमें से 1543 व्यक्तियों को रोजगार देने एवं 04 व्यक्ति को नगद भुगतान करने की बात कही गई थी। कुसमुण्डा विस्तार परियोजना में 50 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत 05 और गॉव आमगांव, चुरैल, खोडरी, खैरभावना ओर गेवरा माईन द्वारा

पुर्नस्थापना और विस्थापन के संबंध में ई.आई.ए. में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

03. **उपाध्यक्ष, सवारितक पावर एण्ड मिनरल रिर्सोसेस प्रा.लि., ग्राम–कनबेरी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

- मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के 50 मिलियन टन क्षमता विस्तार के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के पूर्व तकनीकी आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराना आवश्यक है।
- मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार से प्रभावित नहर के संबंध में सिंचाई विभाग, कोरबा के साथ परामर्श कर तकनीकी, आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है।
- खनन गतिविधियाँ किसी भी सामाजिक एवं धार्मिक विरासत से 8–10 किलोमीटर की हवाई दूरी पर होनी चाहिए। अतः सर्वमंगला मंदिर एवं महाकाल मंदिर से उत्खनन कार्य की दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए तथा इन मंदिरो के लिए परसपर सम्पर्क हेतु सड़क मार्ग उपलब्ध होना चाहिए।
- मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार के अंतर्गत नहर, नहर रोड, एचटी लाइन, हसदेव नदी मोड़ने से संबंधित तकनीकी आर्थिक आंकलन नही किया गया है। विस्तार परियोजना को राइट बैंक कैनाल तक ही सीमित करना चाहिए।

04. **श्री धनवेन्द्र नाथ, ग्राम–मनगांव (लक्ष्मण नगर),पोस्ट–गेवरा बस्ती, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

- खसरा नं. 442/11, रकबा 1.25 एकड़ ग्राम मनगांव, पटवारी हल्का नं. 35, तहसील–कटघोरा में स्थित भू–स्वामी हक की भूमि एसईसीएल, गेवरा, कुसमुण्डा

परियोजना द्वारा सन् 1983 में अधिग्रहित कर ली गई है। परंतु उसका मुआवजा व उससे मिलने वाली नौकरी आदि सुविधाए उपलब्ध नहीं कराई गई है।

05. **श्रीमती गायत्री बाई ग्राम – मनगांव (लक्ष्मण नगर), पोस्ट –गेवरा बस्ती, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा.**

- खसरा न. 1/12, रकबा 3.00 एकड़ ग्राम मनगांव, पटवारी हल्का न. 35, तहसील–कटघोरा में स्थित भू स्वामी हक की भूमि एसईसीएल, गेवरा, कुसमुण्डा परियोजना द्वारा सन् 1983 में अधिग्रहित कर ली गई है। परंतु उसका मुआवजा व उससे मिलने वाली नौकरी आदि सुविधाए उपलब्ध नहीं कराई गई है।

06. **श्रीमती प्रेमा चंद्रा, पार्षद वार्ड क. 58**

एवं

सृष्टि सूर्यमुखी सिंह, पार्षद, वार्ड क. 59,कुसमुण्डा, नगर पालिका निगम, कोरबा

- कोरबा का भारतवर्ष में प्रदूषण को स्तर में पांचवे स्थान पर रखा गया है, क्षमता विस्तार के तहत अधिक उत्खनन करने से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा।
- एसईसीएल प्रभावित परिवारों का उचित रूप से विस्थापन नहीं करता तथा विस्थापित ग्रामों में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध नहीं कराता।
- भूअधिग्रहण पश्चात ग्रामीण भूमि हीन हो जाते है तथा सामाजिक स्तर का पतन हो जाता है।
- भू अर्जन के कई गांव नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में आते है, इन क्षेत्रो में भूमि के दाम अधिक है। तथा मुआवजा कम दिया जाता है। उन पैसों से हमे कहीं और भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। पुर्नवासित ग्रामों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं।

07. **श्री सोमेश्वर प्रसाद एवं अन्य निवासी गेवरा बस्ती,**

देशहित को ध्यान में रखकर हम अपनी भूमि निम्न शर्तो पर एसईसीएल को देना चाहते हैं–

* एसईसीएल द्वारा पूर्व अधिग्रहित जमीन पर पहले नौकरी दी जाये बाद में भूमि का अधिग्रहण किया जाये। एसईसीएल द्वारा तय मुआवजा हमे मंजुर नहीं है। बसाहट स्थल पर बुनियादी सुविधाऐं उपलबध करायी जायें।
* ग्रावासियों के समस्या के निराकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति एसईसीएल द्वारा की जाये।

08. **श्री प्रकाश तिवारी, गेवरा बस्ती,तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

* हमारे दो बच्चे जो अभी नाबालिग है बालिग होने पर उन्हे नौकरी दी जाये। नौकरी न होने पर नौकरी के बदले स्वीकृत राशि मय ब्याज के साथ भुगतान की जाये।
* पत्नी के खाते में पुत्र को नौकरी प्रदान की जाये। नगर निगम क्षेत्र में जमीन एवं घर का मुआवजा प्रचलित बाजार भाव से चार गुणा प्रदान किया जावे।
* जमीन अधिग्रहण के पूर्व नौकरी दी जाये। व्यस्क सदस्य को 10 डिसमिल जमीन दिया जाये। तथा प्रत्येक व्यस्क को 01 लाख की राशि पुर्नवास के लिए दी जाये।

09. **श्री बाबूसिंह कंवर एवं अन्य समस्त ग्रामवासी खोड्डरी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

* धारा 04 का प्रकाशन समाप्त किया जावे। हम खदान के विस्तार हेतु जमीन नहीं देंगे।

10. **श्री सपूरन कुलदीप, जिला सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कोरबा**

* एसईसीएल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत कार्यपालिका सार में प्रस्तुत जानकारी भ्रमक है।
* परिवहन कार्य से उड़ने वाले डस्ट को रोकने के लिए सार्थक उपाय नहीं किया गया है। वृक्षा रोपण एसईसीएल प्रबंधन द्वारा किया जाता है किंतु समुचित देखरेख नहीं की जाती है।
* खनन कार्य से भूमिगत जल स्तर में भारी कमी की वजह से लोगो को पेयजल, कृषि एवं निस्तारी कार्य के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

- सीएसआर का कार्य 15 कि.मी. के दायरे के बजाये अन्यत्र स्थानो पर ज्यादा किया जाता है। आसपास की सड़कों, पेयजल समस्या, स्वास्थ्य, युवाओं की खेलकूद एवं रोजगार तथा महिलाओं के आजिविका पर कार्य नहीं किया जाता है।
- पर्यावरण प्रदूषण के आंकलन में सामाजिक कुप्रभावों को शामिल किया जावे।
- कोरबा जिले में अत्याधिक औद्योगिकीकरण से मानव जीवन पर संकट बढ़ गया है।

11. **श्री फुलेश्वर प्रसाद सूरजइहा, संस्थापक/संरक्षक, मु. गजरा, पो.- बॉकी मोंगरा, तह0-कटघोरा, जिला-कोरबा**

- कोरबा नगर निगम क्षेत्र में धुलडस्ट व्याप्त है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। इसका मुख्य कारण वृक्षारोपण में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर अंकुश लगाये जावे।
- भूस्थापितो की भूमि का भू अर्जन यूपी सरकार द्वारा पारित बिल के अनुसार क्रमशः न्यूनतम पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन पात्रताऐं इसके लिए एक व्यापक आर एण्ड आर पेकेज दिए जावे।
- कोल बेयरिंग एक्ट जिसमे 1957 की धारा 14/2 अधिग्रहण एव विकारा जिसमें खातेवार रोजगार देने का प्रावधान है, का पालन किया जावे।

12. **श्री मंगलदास, एम-18 उर्जानगर, गेवरा परियोजना , तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा**

- मेरे पिता स्व. मोकरदम आ. दानी के नाम पर ग्राम दुरपा में खसरा नं. 1012/2 तथा 1014/5 कुल 67 डिसमिल जमीन था, जिसे एसईसीएल द्वारा अर्जन किया गया है। अर्जन के समय मै नाबालिग था, जिस कारण रोजगार हेतु नामांकन नहीं भर पाया। अब मुझे रोजगार नामांकन हेतु नामांकन फार्म दिलवाने की कृपा की जाये।

13. **श्री विद्या विनोद एवं अन्य, ग्राम आमगांव, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

- हम सभी कृषि कार्य से जीवन यापन करते है, हम अपनी कृषि भूमि नहीं देंगे। हमे धारा 4 (1) के प्रकाशन से मुक्त कराया जाये।

14. **श्री रविशंकर यादव, ग्राम–जरहाजेल, तहसील एवं जिला–कोरबा**

- मेरे दादाजी स्व. कंठीराम यादव, ग्राम–जरहाजेल में खाता क्र. 44, रकबा 5 एकड़ 96 डिसमिल के खातेदार हैं। जिसके एवज में मुझे (स्व. कंठीराम यादव के पौत्र) को नौकरी दिलवाया जाये।

15. **श्री रामेश्वर प्रसाद सोनी, कबीर चौक, गेवरा बस्ती तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

- पूर्व अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा, बसाहट एवं नौकरी का निपटारा कराया जाये। मुआवजा की राशि छ.ग. राज्य शासन के आदर्श पुर्नवास नीति के आधार पर दी जाये।
- बसाहट के निवासियों को मेडिकल बिजली एवं पानी की सुविधा 12 महीने हो। बसाहट स्थल में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाये एवं साफ–सफाई कराई जाये।

16. **श्री गोकुल प्रसाद पाटले एवं अन्य, ग्राम–गेवरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

- कोरबा जिले में पहले ही एसईसीएल के कारण पर्यावरण प्रदूषण है। यदि इनका विस्तार किया गया तो और हानी होगी। जल स्त्रोतो का नष्ट होना, फसलों का उत्पादन कम होना, वायु जनित बिमारियों का होना, घरों मे दरार पड़ना आदि की आशंका है।
- कृषि योग्य जमीन नष्ट होगी तथा शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कष्ट होगा।
- जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ नगर निगम के निर्धारित दर से 5 गुना दिया जाये।

- महिला खाताधारकों को उनके स्वेच्छा अनुसार उनके रिश्तेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये।
- बसाहट स्थल शहर के निकट हो, प्रत्येक खातेदार को अर्जित जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार तथा कम से कम 10 डिसमिल जमीन दिया जाये।
- बड़े खाता धारकों को पात्रता अनुसार पुत्र/पुत्री को भी रोजगार दिया जाये एवं नाबालिग की स्थिति में बालिग होने पर रोजगार दिया जाये।
- खातधारको को 02 एकड़ में 1 के अनुपात से नौकरी दी जायें।

17. **श्री श्यामसुंदर कैवर्त एवं अन्य गेवरा बस्ती, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

- ग्रामवासियों को जमीन अधिग्रहण अधिनियम तथा मुआवजा, रोजगार तथा पुर्नवास के लिए किस नीति को लागू किया जा रहा है, उसकी जानकारी दी जाये।
- प्रत्येक जमीन मालिक को नौकरी दिया जाये, महिला खाते पर नौकरी प्रदान किया जाये तथा जो ग्रामवासी रोजगार के पात्र नहीं है, उन्हे जीविकोपार्जन के लिए अन्य रोजगार दिया जाये।
- जमीन अधिग्रहण हेतु किस मुल्य पर जमीन और मकान का निर्धारण किया जायेगा। जिस गांव का अधिग्रहण होना है उसके एक महीना पहले गांव का विड़ियों ग्राफी या मकान की गणना की जाये।
- गांवासियों को मुआवजा का निर्धारण नए नियम से होना चाहिए। जमीन एवं मकान का मुआवजा नगर निगम कोरबा के आधार पर किया जाना चाहिए।

18. **कार्यपालन अभियंता, हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग, रामपुर कोरबा** – हसदेव बरॉज से दांयी तट नहर जो ग्राम दर्री से निकलकर ग्राम चारपारा, बरगपुर, जरहा, दुरपा, खम्हरिया, खैरभवना, चैनपुर, सोनपुरी, जपेली, बलरामपुर, भलपहरी आदि ग्राम से होते हुये जिला जॉजगीर–चाम्पा के लगभग 90 प्रतिशत ग्राम के 117000 हे. क्षेत्र को आपासी करती है तथा विभिन्न उद्योगो जैसे–एन.टी.पी.सी.,सी.एस. ई.बी. आदि को भी पानी देती है, में ग्राम खैरभवना प.ह.नं. 22 के खसरा नं. 165/4,

166/1, 166/2, 166/3, 179/3, 172. 173/1, 173/3, 181/2, 183/3, 183/6, 183/5, 185/3, 186/3, 186/1, 186/2, 187/4, 187/5, 188/2, 189/1,189/3. 190/2, 191. 192/2, 193/2, 197/2,198/2, 199/3, 211/5. 288/3, 288/4, 288/5, 289/2, 290/3, 290/4, 291/3, 299/2, 300/2, 301, 302/2, 303/2, 104/4, 304/3, 305/2, 312/2, 468/3, 475/2, 477/2, 480/4, 480/5, 480/6, 481/2, 496/5, 499/2, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510/2, 511/4, 517/3, 551/2, 522/3, 552/4, 555 से 563, 564/1, 564/2, 565 से 569, 582/2, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 572/2, 573 से 576, 578/2, 580, 579, 581/3, 581/2, 582/1, 582/3, 582/4, 585/2, 591/2, 591/3, 595/2, 593/2, 564, 597/2, 595/1, 624/5, 627/6, 633, 634, 635/1, 637, 638/1, 639/7, 638/2, 640/5, 643/2, 644 से 647 648/2, 651/2, 652, 653 **कुल रकबा 15.799 है0** प्रभावित हो रही है।

19. **जिला प्रशासन, जिला–कोरबा** – स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल्स रिसोंसेस प्रा. लि. कनबेरी को 90 वर्ष के लिये लीज डीड पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित की गई ग्राम खैरभवना में प.ह.नं. 22 की भूमि खसरा नं. 795, 797/1, 797/2, 799, 800, 796, 802 से 812, 815, 823/2, 873, 874, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 876/6, 877 से 881, 883, 884, 889, 801, 820, 823/3, 879, 872, 885 से 888, 890 **कुल रकबा 8.053** है0 प्रभावित हो रही है।

लोक सुनवाई दौरान तथा उसके पूर्व प्राप्त मुख्य रुप से लिखित/मौखिक चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये समस्त मुद्दों का समावेश निम्नांकित प्रश्नों में किया गया है:–

1. ईआईए/ईएमपी में तालिका क0 3.14 (ए) में जो आंकड़े दिये गये है वह गलत है क्योंकि ईआईए में कमसमय के आकड़ो का तुलना किया गया है। जबकि आकड़ो की तुलना एमओईएफ के वार्षिक औसत से की जानी चाहिए थी, जो कि तालिका क्र. 11.07 में दिया गया है। केवल एक मौसम (तीन माह) के वायु गुणवत्ता के आकडे एकत्रित किये गये है और यह उचित नहीं है कि उनकी तुलना 24 घण्टो के मानक औसत आकड़ो जो कि पीएम–10 और पीएम–2.5 के लिए कमशः 60 एवं 40 माईक्रोग्राम प्रति धनमीटर से की जाए।

2. खदान को प्राप्त टी.ओ.आर. के तहत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर माइनिंग के प्रभाव के आंकलन हेतु आई.एस.सी.एस.टी (रिवाईज) या लेटेस्ट मॉडल से करना है।

3. खदान को प्राप्त टी.ओ.आर. के तहत् नीचे दिये गये सारणी अनुसार ग्रीनबेल्ट एवं वनरोपण का कार्य किया जाना है:–

S.N.	Land use Category	1st Year	5th Year	10th Year	20th Year	24th Year (end of mine life)
1	Backfilled Area (Reclaimed with plantation					
2	Excavated Area (Not reclaimed)/Void					
3	External OB dump Reclaimed with plantation					
4	Reclaimed Top Soil Dump(Internal dump)					
5	Green Built Area					
6	Undisturbed area(brought under plantation)					
7	Roads(avenue plantation)					
8	Area around buildings and Infrastructure					
9	Others/future mining					
	Total	101*	101*	101*	101*	101*

4. खदान के कान्सेप्चुअल फाइनल माइन क्लोजर प्लान में भूमि के फिजिकली, केमिकली एवं बायोलॉजिकली रूप में प्रभावित होने के बारे में किसी प्रकार का वर्णन नही है।

5. यह देखा गया है कि माईन प्रबंधन द्वारा 10 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत 07 गांव, 15 मिट्रिक टन के अंतर्गत 05 गॉव, इस प्रकार कुल 12 गॉव का अधिग्रहण माईन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

50 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत 05 और गॉव आमगांव, चुरैल, खोडरी, खैरभावना और गेवरा माईन का अधिग्रहण किया जाना है। प्रथम चरण मे (1655.825 हेक्टेयर) के अंतर्गत 1344 परिवारों का विस्थापन तथा 1142 परिवारों का पुर्नस्थापना किया जाना था। 2166 परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई थी जिनमें से 1543 व्यक्तियों को रोजगार देने एवं 04 व्यक्ति को नगद भुगतान करने की

बात कही गई थी। कुसमुण्डा विस्तार परियोजना में 50 मिट्रिक टन/वर्ष के अंतर्गत 05 और गॉव आमगांव, चुरैल, खोडरी, खैरभावना और गेवरा माईन द्वारा पुर्नस्थापना और विस्थापन के संबंध में ई.आई.ए. में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

6. मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के 50 मिलियन टन क्षमता विस्तार के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के पूर्व तकनीकी आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराना आवश्यक है।

7. मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार से प्रभावित नहर के संबंध में सिंचाई विभाग, कोरबा के साथ परामर्श कर तकनीकी, आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है।

8. खनन गतिविधियाँ किसी भी सामाजिक एवं धार्मिक विरासत से 8-10 किलोमीटर की हवाई दूरी पर होनी चाहिए। अतः सर्वमंगला मंदिर एवं महाकाल मंदिर से उत्खनन कार्य की दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए तथा इन मंदिरों के लिए परस्पर सम्पर्क हेतु सड़क मार्ग उपलब्ध होना चाहिए।

9. मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार के अंतर्गत नहर, नहर रोड, एचटी लाइन, हसदेव नदी मोड़ने से संबंधित तकनीकी आर्थिक आंकलन नही किया गया है। विस्तार परियोजना को राइट बैंक कैनाल तक ही सीमित करना चाहिए।

10. कुसमुण्डा परियोजना, एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रभावित ग्रामों में सामुदायिक विकास के कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। ग्रामों में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है तथा पेयजल की मूलभूत सुविधा भी विगत कई वर्षों से लंबित रखी गई है।

11. एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा प्रभावित ग्रामों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा आदि उपलब्ध कराया जाये।

12. कोल उत्खनन हेतु ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे पत्थर उड़कर आसपास के क्षेत्रों में गिरते हैं साथ ही ब्लास्टिंग से आसपास स्थित गांवों के घरों में दरारें आ जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है।

13. कुसमुण्डा परियोजना में क्षमता विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करते हुए कोल उत्खनन का कार्य किये जाने फलस्वरूप समीपस्थ स्थित ग्राम प्रभावित होगें। प्रभावित ग्रामवासियों के लिए रोजगार एवं मुआवजा राशि की व्यवस्था एसईसीएल प्रबंधन द्वारा नही की गई है।

14. कुसमुण्डा खदान वर्ष 1979 से उत्पादनरत् है। खदान पुनर्भरण की कार्यवाही लंबित रखी जाती है। प्रबंधन द्वारा खदान के पुर्नभरण कार्य, खनन प्रक्रिया के साथ साथ किया जाना चाहिए, जिससे आसपास के ग्रामों के जल का स्तर बना रहें। साथ ही पुर्नभरण स्थल पर सघन वृक्षारोपण किया जावे।

15. कुसमुण्डा परियोजना के समीपस्थ ग्रामों की कृषि भूमि भी कोल उत्खनन से प्रभावित होती है। जल स्तर भी नीचे चले जाने के कारण पेयजल की समस्या के साथ–साथ कृषि कार्यों में सिंचाई में प्रयुक्त जल की अनुपलब्धता के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित होती है।

16. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत कार्यपालिक सार एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में दर्ज किये गये तुलनात्मक आंकड़ों में भिन्नता है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

17. कोयले के परिवहन के दौरान अत्यधिक मात्रा में कोल डस्ट युक्त वायु प्रदूषण होने से आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा हैं, किंतु एस.ई. सी.एल. प्रबंधन द्वारा कोल डस्ट प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है।

18. प्रबंधन द्वारा खदान हेतु जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की जाती है उन सभी भू–स्वामियों को रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है।

19. खदान प्रबंधन द्वारा ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों का समुचित रखरखाव नहीं कराया जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

20. एसईसीएल प्रबंधन को आस- पास के ग्रामीणों के साथ सामंजस्य नही रखा जाता है, ना ही एसईसीएल द्वारा रोजगार तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है।

21. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पौधारोपण तो किया गया है किंतु फलदार एवं औषधीवाले पौधो का रोपण नहीं किया गया है। अतः फलदार एवं औषधी वाले पौधो का रोपण किया जावे।

22. ग्राम -बरकुटा गंगा नगर , यमुना नगर एवं वैशाली नगर में पीने के लिए पानी नही है। प्रबंधन द्वारा भुमि अर्जित किया जाता है, किन्तु रोजगार नही दिया जाता है। विनाश करके विकास नहीं चाहिए, पुनर्वास ग्राम में मुलभूत सुविधाए आज भी नही है।

23. गॉव में पीने का पानी नही है, तालाबो में पानी कालाडस्टयुक्त हो गया है। जिसके प्रति प्रबंधन द्वारा कोई कारगर उपाय नही किये जा रहें है।

24. विस्तार परियोजना के तहत् अधिग्रहित ग्रामों में धारा 4 का प्रकाशन कराया गया है, जिसकी जानकारी प्रभावित ग्रामवासी को नहीं है। परियोजना प्रबंधन द्वारा संबंधित जानकारी का प्रकाशन क्षेत्रीय स्तर पर किया जावें।

25. एसईसीएल, प्रबंधन द्वारा पुर्नवास नीति, भूमि अधिग्रहण नीति के साथ-साथ अन्य सभी नियमों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही नही करने से प्रभावित ग्राम वासी, दुखी एवं परेशान है।

26. एसईसीएल, प्रबंधन जमीन अधिग्रहण के पश्चात् केवल लड़कों को नौकरी दी जाती है। लडकियों को नौकरी क्यों नही दी जाती है।

27. ईआए रिपोर्ट के तहत 8676 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जबकि जिन 5 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उनकी भूमि 4645 एकड़ है, शेष 4028 एकड़ भूमि का वर्णन नही किया गया है।

28. 5वीं अनुसूची के अनुसार पेसा कानून (**PESA Act**), वन अधिकार कानून लागु हैं। पेसा कानून के तहत् प्रभावित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना

ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरी–मिट्टी प्रबंधन से संबंधित जानकारी तालिका क. 4. 31 में दी गई है। ईएमपी के लागू किए जाने के कार्य की रूप रेखा चित्र क. 16 पेज नं. VI-5 में दर्शाई गई है। विभिन्न स्तरों पर रिक्लेमेशन की कार्य की रूप रेखा प्लेट क. VII, VIII, IX, X एवं XI मे दी गई है, जिसमें कमिक रूप से रिक्लेमेशन किये जाने का कार्यक्रम दर्शाया गया है। सेटेलाईट चित्र जो की प्लेट IV डी में दिया गया है, उसमें भूमि के रिक्लेमेशन संबंधित आकड़े तथा जमीन के उपयोग संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है।

4. खदान के कान्सेप्चुअल फाइनल माइन क्लोजर प्लान के संबंध में ई.आई.ए. के अध्याय कमांक 4 में विस्तृत वर्णन किया गया हैं। जिसमें हर वर्ष जमा होने वाले राशि, हर पांच साल में अनुमानित खर्च के अनुसार प्राप्त होने वाली राशि तथा सुझाये गये माईन क्लोजर कार्य जैसे ओ.बी. डम्प का रिक्लेमेशन जिसमें बैक फिलिंग, लेण्ड स्केपिंग, बायोलॅाजिकल रिक्लेमेशन तथा खदान के बंद होने के पश्चात देखरेख में खर्च होने वाली राशि को दर्शाया गया है। उपरोक्त माइन क्लोजर के प्रावधानों को भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देश कमांक 55011–01–2009–सीपीएएम दिनांक 07.01.2013 के अनुसार बनाया गया है।

5. कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन के 18.75 मिलियन टन/वर्ष में कुल 12 गांव आते है। जिनका पुर्नविस्थापन एवं पुर्नवास का कार्य प्रगति पर है। अब तक 1142 लोगो को पुर्नवासित किया जा चुका है जिनमें से 55 लोगो ने नगद राशि प्राप्त की है तथा कुल 1578 लोगो को नौकरी दिया जा चुका है और 05 लोगो ने नौकरी के बदले में नगद राशि प्राप्त की है। कुसमुण्डा विस्तार परियोजना के अंतर्गत 50 मिलियन टन/वर्ष के तहत् 5 और गांव कमशः आमगांव, खोडरी, खैरभावना, चुरैल एवं गेवरा का अधिग्रहण आने वाले वर्षो में किया जाना है। साधारणतः पुर्नविस्थापन एवं पुर्नवास के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना बनाई जाती है। वर्तमान में 2014–15 से 2018–19 तक के लिए बनाई गई है, जिसमें ग्राम जटराज, सोनपुरी और पाली को शामिल किया गया है। जिसे ई.आई.ए. के अध्याय कमांक 4 के पैरा 4.7.1 में समाहित

किया गया है। जैसे–जैसे गांव के अधिग्रहण का कार्य किया जावेगा, वैसे–वैसे प्रभावित ग्रामीणों को सूचित किया जायेगा साथ ही विस्थापन कार्ययोजना 5 वर्ष पूर्व ही बना लिया जायेगा।

6. मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन के विस्तार परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण सीबीए एक्ट 1957 के अन्तर्गत तथा भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के तकनीकी, आर्थिक अध्ययन एवं परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदित किये जाने पर ही किया जाता है।

7. राईट बैक केनाल डायवर्सन के लिये एसईसीएल प्रबंधन द्वारा छ.ग. राज्य सिचाई एव केन्द्रीय जल संसाधन विभाग एवं अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, छ.ग.शासन सिंचाई विभाग से उच्च स्तरीय बैठक की गई है तथा नहर डायवर्सन के लिये फिजीबिलीटी स्टडी के लिये जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया है। भूमि का अधिग्रहण सीबीए(ए. एण्ड डी.) कानून के तहत् सभी कानूनी प्रावधानों को पूरा करते हुए किया जा रहा है।

8. कोयला एक प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति है। खनन् गतिविधियों से प्रभावित होने पर सर्वमंगला एवं महाकाल मंदिर को आवश्यकता पड़ने पर विधि सम्मत एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये विस्थापन एवं सड़को का डायवर्सन किया जा सकता है।

9. कुसमुण्डा परियोजना के अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हसदेव नदी का डायवर्सन नही किया जाना है तथा नहर, नहर रोड, एचटी लाइन को तकनीकी आर्थिक लागत, समाज एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये डायवर्सन का कार्य किया जावेगा।

10. कुसमुण्डा परियोजना एसईसीएल द्वारा परियोजना के आसपास के ग्रामों में लगभग 25 कि.मी. के क्षेत्र में सी.एस.आर. मद से मूलभूत सुविधाओं के कार्य जैसे–समुदायिक भवन, स्कूल, बाजार, पार्क, स्टाप डेम/निर्मल घाट, रोड इत्यादि कार्य कराये जाते है। सड़क मार्गो का नियमित देखरेख का कार्य किया जाता है। पेयजल की सुविधा ग्रामों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाती है।

11. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा प्रभावित ग्रामों में बेस लाईन सर्वे का कार्य CHHATTISGARH CENTRE FOR ENTREPRENURSHIP DEVELOPMENT (an ISO 9001-2008 organization) द्वारा कराया गया है तथा बेस लाईन सर्वे रिर्पोट के आधार पर प्रभावित ग्रामों में आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधाओं के कार्य जैसे सामुदायिक भवन, स्कूल, बाजार, रोड़, जलाशय, हेण्ड पम्प आदि सी.एस.आर. मद से कराये जाते है। इसी अनुक्रम में एसईसीएल के अस्पताल में बीपीएल कार्ड धारकों एवं प्रभावित ग्रामों के ग्राम वासियों का मुफ्त ईलाज कराये जाने के साथ–साथ समय–समय पर मेडिकल केम्प भी लगाया जाता है।

12. कोल उत्खनन का कार्य सरफेस माइनर द्वारा किये जाने से कोयला में ब्लास्टिंग नही करना पड़ता है। ओव्हर बर्डन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के लिए कन्ट्रोल ब्लास्टिंग पद्धति अपनाई जाती है, जिससे पत्थर उड़ने एवं कंपन की प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जाता है। ब्लास्टिंग के दौरान होने वाले कंपन का अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ब्लास्टिंग के दौरान होने वाले कंपन डीजीएमएस के द्वारा निर्धारित मानको की सीमा के अंदर है।

13. कुसमुण्डा परियोजना में क्षमता विस्तार के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण, रोजगार एवं मुआवजा राशि हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 949.02 करोड़ रूपये का प्रॉवधान रखा गया है। विस्तार परियोजना से प्रभावित ग्राम वासियो के लिए रोजगार हेतु कोल इण्डिया पुनर्वास/पुनस्थापना नीति 2012 के तहत रोजगार प्रदान किया जावेगा, जिसका प्रस्ताव अभी राज्य शासन के पास अनुमोदन हेतु लंबित है। जैस ही अनुमोदन प्राप्त होगा प्रभावित लोगो को पुनर्वास/पुनस्थापना नीति 2012 के तहत रोजगार दिया जायेगा।

14. कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन में कोल उत्खनन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ओव्हर डम्प पुर्नभरण का कार्य सतत् रूप से जारी है। कुसमुण्डा ओपन कास्ट में 325 हेक्टेयर का क्षेत्र बाहय् ओ.बी. डम्प के लिए निर्धारित किया गया था। उसमें से मात्र 196 हेक्टेयर क्षेत्र डम्प कार्य के लिए उपयोग किया गया। वर्तमान में प्रोजेक्ट की कार्ययोजना के अनुसार ओ.बी. डम्प खदान क्षेत्र के बाहर नही किया जायेगा।

पिछले चार वर्षो से खदान से निकलने वाले समस्त ओव्हर बर्डन को पुर्नभरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

खनन की प्रकिया से भू–जल स्तर पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए वर्तमान में 02 सेट (04 नग) पिजो मीटर लगाये गये है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विगत 03 वर्षो में जल का स्तर ऊपर उठा है । जल स्तर नियमित आंकलन हेतु भविष्य में खदान के राइज़ एवं डीप साइड में 02 सेट (07 नग) पिजो मीटर लगाया जा रहा है। जिसमें माइनिंग से विभिन्न स्तरों पर जल स्तर के प्रभाव का आंकलन किया जा सकेगा। खदान के शुरूआत से आज तक 20 लाख से ज्यादा पौधो का रोपण किया गया है जिससे पुर्नभरण स्थल पर सघन वन निर्मित हो गया है।

15. खदान परियोजना के तकनीकी अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि खनन कार्य की वजह से खनन स्थल से 650 मीटर से 1.4 किलोमीटर की दूरी तक का जल स्तर प्रभावित होगा। जिसका एसईसीएल द्वारा नियमित आंकलन किया जाता है। खनन की प्रकिया से भू–जल स्तर पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए वर्तमान में 02 सेट (04 नग) पिजो मीटर लगाये गये है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विगत 03 वर्षो में जल का स्तर ऊपर उठा है। जल स्तर की निगरानी हेतु भविष्य में खदान के राइज़ एवं डीप साइड में 02 सेट (07 नग) पिजो मीटर लगाया जा रहा है। जिसमें माइनिंग से विभिन्न स्तरों पर जल स्तर के प्रभाव का आंकलन किया जा सकेगा। पेयजल एवं निस्तारी के लिए आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जाता है।
16. एसईसीएल द्वारा प्रस्तुत कार्यपालिक सार एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन में किसी प्रकार की भिन्नता नही है
17. कोल परिवहन के दौरान उड़ने वाली धुल, डस्ट को कम करने के लिये खदान के समस्त आंतरिक मार्गो एवं खनन क्षेत्र के आसपास के सड़को का पक्कीकरण किया जाता है। जिसपर कोल परिवहन से निर्मित होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के

लिए नियमित रुप जल का छिड़काव किया जाता है। साथ ही कोयला परिवहन सड़क मार्ग के दोनो तरफ एवं कॉलोनी क्षेत्र के आसपास सघन वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा 50 मिलियन टन विस्तार परियोजना के प्रोजेक्ट रिर्पोट में कोयले का परिवहन पिट बॅाटम से साईडिंग तक ढके हुये कन्वेयर बेल्ट से तथा साईडिंग से साईलो द्वारा मालगाड़ी में भरने का प्रस्ताव है। जिससे कोयला परिवहन एवं लोडिंग के दौरान होने वाले धूल प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियत्रंण हो सकेगा।

18. प्रबंधन द्वारा जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उन भूस्वामियों को नियमानुसार पात्रता होने रोजगार प्रदान किया जाता है। सन् 1991 के पहले भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार रोजगार एवं मुआवजा दिया जाता था। सन् 1991 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आर. एण्ड आर. नीति आने के बाद तथा उसके संशोधित प्रारूप 1995 के अनुसार अभी तक रोजगार एवं मुआवजा दिया जाता था। अब सीआईएल की आर. एण्ड आर. नीति 2012 के अनुसार भूमि के बदले में रोजगार प्रदान किया जायेगा। यह सीआईएल की आर. एण्ड आर. नीति 2012 अभी राज्य शासन के पास अनुमोदन हेतु लंबित है। जैस ही अनुमोदन प्राप्त होगा प्रभावित लोगो को रोजगार दिया जायेगा।

19. एसईसीएल द्वारा कुसमुण्डा क्षेत्र से लगी सड़के जैसें:– कुसमुण्डा से गेवरा 10 कि. मी., कुसमुण्डा से बांकी 10 कि.मी., कुसमुण्डा से हरदीबाजार 12 कि.मी. एवं कुसमुण्डा से कोरबा 10 कि.मी. तक का पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, जिसका समुचित रखरखाव किया जाता है।

20. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा आसपास के प्रभावित ग्रामीणों से लगातार वार्तालाप एवं बैठक की जाती है तथा प्रभावित ग्रामों का एसईसीएल के स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त इलाज किया जाता है एवं समय–समय पर आसपास के ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है।

21. एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य छ.ग. राज्य वन विकास निगम, कोरबा के द्वारा कराया जाता है। जिसमें 35 प्रतिशत औषधीय पौधे, 15 प्रतिशत

फलदार पौधे, 48 प्रतिशत इमारती लकड़ी वाले वृक्ष एवं 2 प्रतिशत फूल वाले पौधे लगाये जाते है।

22. ग्राम बरकुटा का विस्थापन हो चुका है। पुर्नवास ग्राम में मूलभूल सुविधायें जैसे:– तालाब, हैंडपंप, स्कूल, अस्पताल, बाजार एवं सामुदायिक भवन, हेल्थ सेंटर इत्यादि प्रदान की गई है। रोजगार की सुविधा तात्कालिक लागू नियमों के अनुसार दी जाती है।

23. कुसमुण्डा क्षेत्र के आसपास प्रभावित ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी हेतु बेस लाईन सर्वे वर्ष 2014 में करवाया गया है। बेस लाईन सर्वे से स्पष्ट होता है कि गांवों में पीने के पानी हेतु हेण्ड पम्प, कुआ इत्यादि उपलब्ध हैं। जिन गांवों में और आवश्यकता है, वहॉ एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सी.एस.आर. मद से कार्य कराया जाता है। साथ ही तालाबों की सफाई एवं गहरा करने का कार्य भी सीएसआर मद से कराया जाता है। प्रभावित गांव में पीने का पानी टैंकर के द्वारा आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कोल परिवहन मार्ग एवं कालोनी के चारो तरफ सघन वृक्षारोपण कराया गया है। इसके साथ ही चलित तथा स्थाई स्प्रींकलर द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है।

24. विस्तार परियोजना के तहत् धारा 4 (1) का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा राजपत्र मे कर दिया गया है तथा राजपत्र की प्रतिलिपि संबंधित पंचायत में चस्पा करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों को उपलब्ध कराई गई है।

25. भूमि अधिग्रहण के लिये एसईसीएल प्रबंधन तात्कालिक लागू नियमों के अनुसार कार्य करता है।

26. परियोजना से प्रभावित लोगो को रोजगार, कंपनी में रिक्त पदो के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में कंपनी की भूमिगत खदानो में रिक्तियॉ हैं तथा माईन्स एक्ट 1952 के अनुसार महिलाओं को भूमिगत खदान में कार्य पर लगाना प्रतिबंधित है। इसी कारण परियोजना प्रभावित लोगो में महिलाओ को रोजगार नहीं दी जाती है।

27. कुसमुण्डा परियोजना 18.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अंतर्गत 2382.764 हेक्टेयर (लगभग 5887.8 एकड़) भूमि अधिग्रहित की गई है तथा 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तार परियोजना के लिये 1127.56 हेक्टेयर (लगभग 2786.2 एकड़) अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की जायेगी। इसलिये 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तार परियोजना के लिये कुल भूमि 3510.34 हेक्टेयर (लगभग 8674 एकड़) हो जायेगी।

28. सी.बी.ए. एक्ट (ए. एण्ड डी.) 1957 के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली भूमि पर पेसा अधिनियम (PESA Act) (ग्राम सभा का प्रस्ताव) लागू नही होता है।

29. ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट के आधार पर हिन्दी में अधिशासी सारांश बनाकर ग्रामीणों को वितरित किया गया है।

30. ग्राम चन्द्रनगर का विस्थापन कार्य प्रगति पर है एवं ग्राम पाली स्थित तालाब में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पानी दिया जाता है। पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाता है।

31. एसईसीएल द्वारा छ.ग. राज्य वन विकास नियम के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जिसमें 48 प्रतिशत इमारती लकड़ी, 35 प्रतिशत औषधी, 15 प्रतिशत फलो के तथा 02 प्रतिशत फूलो के पौधे लगाये जाते है। बसाहट क्षेत्र में भी पौधे लगाने का कार्य किया जायेगा।

32. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भूविस्थापितों को रोजगार देने स्पष्ट लिखित नीति है। सन् 1991 के पहले भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार रोजगार एवं मुआवजा दिया जाता था। सन् 1991 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आर. एण्ड आर. नीति आने के बाद तथा उसके संशोधित प्रारूप 1995 के अनुसार अभी तक रोजगार एवं मुआवजा दिया जाता था। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने पर कोल इंडिया की पुर्नवास नीति 2012 के तहत् रोजगार दिया जायेगा।

33. वायु गुणवत्ता का मापण आस–पास के गॉव में किया जाता है। वर्तमान में कुल 08 वायु प्रदूषण निगरानी स्टेशन है। जिसमें 04 स्टेशन कोर जोन (खनन क्षेत्र) एवं 04 बफर जोन (आसपास के गांव जटराज, पाली, न्यू बरपाली, सर्वमंगला नगर) में

बनाये गये है। नियमित अंतराल में मापन यंत्रो से आंकड़े लिये जाते है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति की जानकारी मिल सके, तथा मॉनिटरिंग के परिणाम के आधार पर समुचित उपाये किये जाते है, जिससे प्रदूषण सदैव नियंत्रण में रहे।

34. कुसमुण्डा 50 मिलियन/वर्ष विस्तार परियोजना में पांच और गांवो को अधिग्रहित किया जाना है इनमें गेवरा गांव सभी दृष्टिकोणे से सबसे बड़ा है जिसमें लगभग 7500 परिवार, 500 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि तथा 900 खातेदार प्रभावित हो रहे है। साथ ही प्रभावित अन्य गांव से गेवरा तक आने जाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने के कारण लोक सुनवाई का आयोजन इंदिरा स्टेडियम, कुसमुण्डा में कराया गया है, जो राजस्व ग्राम गेवरा का एक हिस्सा है। इसलिये जन सुनवाई का स्थान इंदिरा स्टेडियम, कुसमुण्डा कलेक्टर, कोरबा द्वारा निर्धारित किया गया था।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 03 एवं लोक सुनवाई के दौरान 20 कुल 23 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 38 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जमनीपाली, कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)